राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 1(1)(124)/मअ/स्था/ 2017/ 9279 जयपुर, दिनांक 28-3-18

आदेश

विभाग के आदेश क्रमांक 23935 दिनांक 18.07.2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पैंशन) नियम 1996 में नियम 164 ए की अधिसूचना क्रमांक प. 12 (6) वित्त/नियम/2009 दिनांक 01.12.2015 के प्रावधानों के तहत सुपरवाईजर, महिला अधिकारिता के रिक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत महिला कार्मिकों को वर्ष 2017–18 अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 17(10)डीओपी/ए–ा/94 दिनांक 11.07.2017 में विहित शर्तो पर संविदा पुनर्नियुक्ति किये जाने की सहमति प्रदान की गयी थी ।

राजस्थान सिविल सेवा (पैंशन) नियम 1996 में नियम 164 ए की अधिसूचना क्रमांक प. 12 (6) वित्त/नियम/2009 दिनांक 01.12.2015 के प्रावधानों के तहत सुपरवाईजर, महिला अधिकारिता के रिक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत महिला कार्मिकों को दिनांक 01.03.2018 से 28.02.2019 तक अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.17(10)डीओपी/ए–ा/94 दिनांक 08.02.2018 में विहित शर्तो पर संविदा पुनर्नियुक्ति किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

(शुचि शर्मा)
आयुक्त
महिला अधिकारिता
जयपुर, दिनांक 28.3.18

क्रमांक एफ 1(1)(124)/मअ/स्था/ 2017/ 9280–324

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक वित्त (बजट) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
4. उप/संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
6. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं, मबावि, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
8. समस्त जिला कलक्टर।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी, निदेशालय महिला अधिकारिता।
11. समस्त उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं।
12. समस्त सहायक निदेशक महिला अधिकारिता।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक), मअ मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. लेखाकार, बजट महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
15. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता

Scanned by CamScanner